



उत्तर प्रदेश UT

AY 464981

॥ जय श्री कृष्ण ॥

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण -

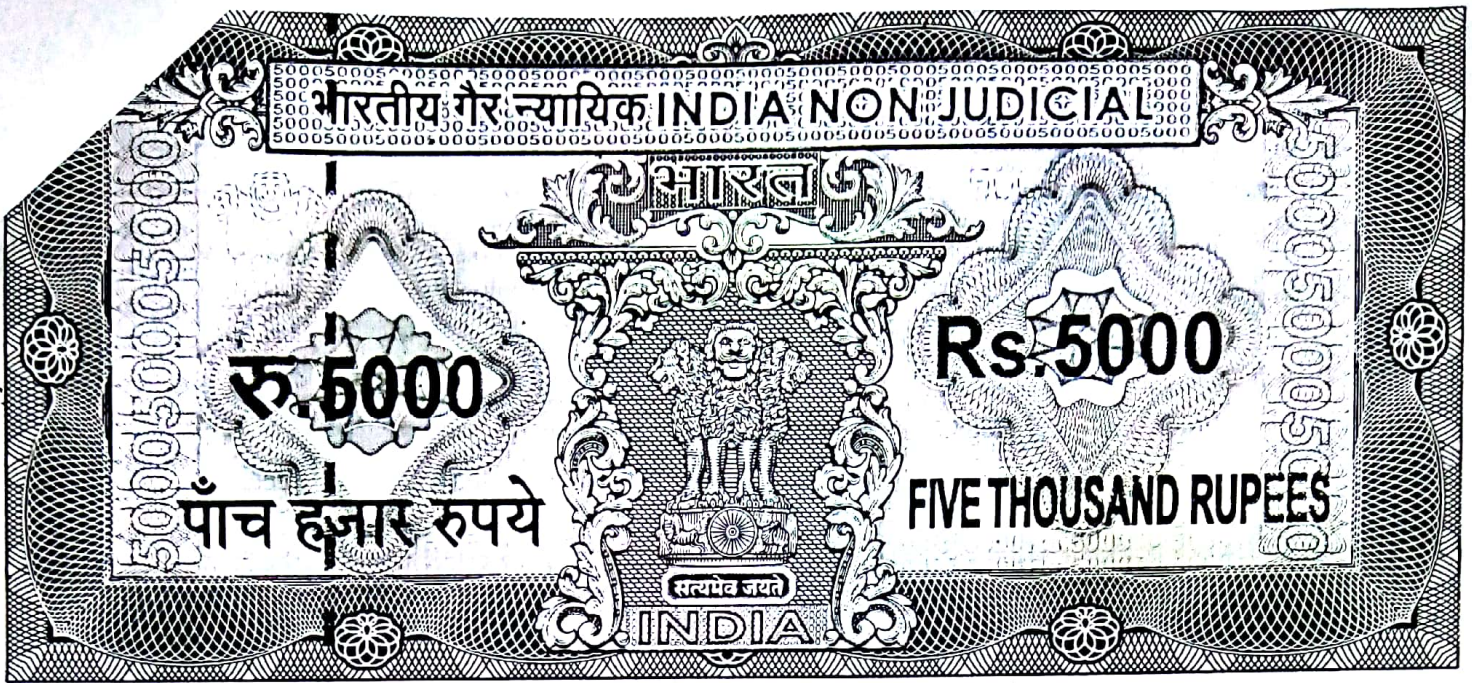
1. भूमि का प्रकार - आवासीय
2. वार्ड परगना- जिला मथुरा।
3. मौहल्ला/ग्राम - स्थित- सरस्वती बिहार कालौनी, मौजा सुनरख बांगर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)- प्लॉट नम्बर-64 व 65 जो आपस में मिले हैं
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर)- वर्गमीटर
6. विक्रय सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 167.22 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)- रास्ता 6 मीटर से कम चौड़ा
8. प्रतिफल की धनराशि 11,00,000/-रूपये, सरकारी रेट- 6500/-रूपये वर्गमीटर जो रेट लिस्ट में पेज नम्बर कोड.....पर दर्ज है, मालियत- 10,87,000/-रूपये, प्रतिफल पर देय स्टाम्प- 7,000/-रूपये, क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय, मथुरा। विकास शुल्क सीमा के अन्दर व नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 464982

AY 464982

{2}

विक्रेता प्रथमपक्ष की संख्या (दो)

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री धारा सिंह व धारा सिंह पुत्र श्री सुघड़ सिंह निवासी गण- सुनरख, तहसील व जिला मथुरा।

क्रेता द्वितीयपक्ष की संख्या (एक)

1. पिक सिटी प्रोपर्टीज प्रा० लि० द्वारा दुर्गेश अग्रवाल पुत्र श्री विष्णू प्रसाद निवासी- रेतिया बाजार, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।

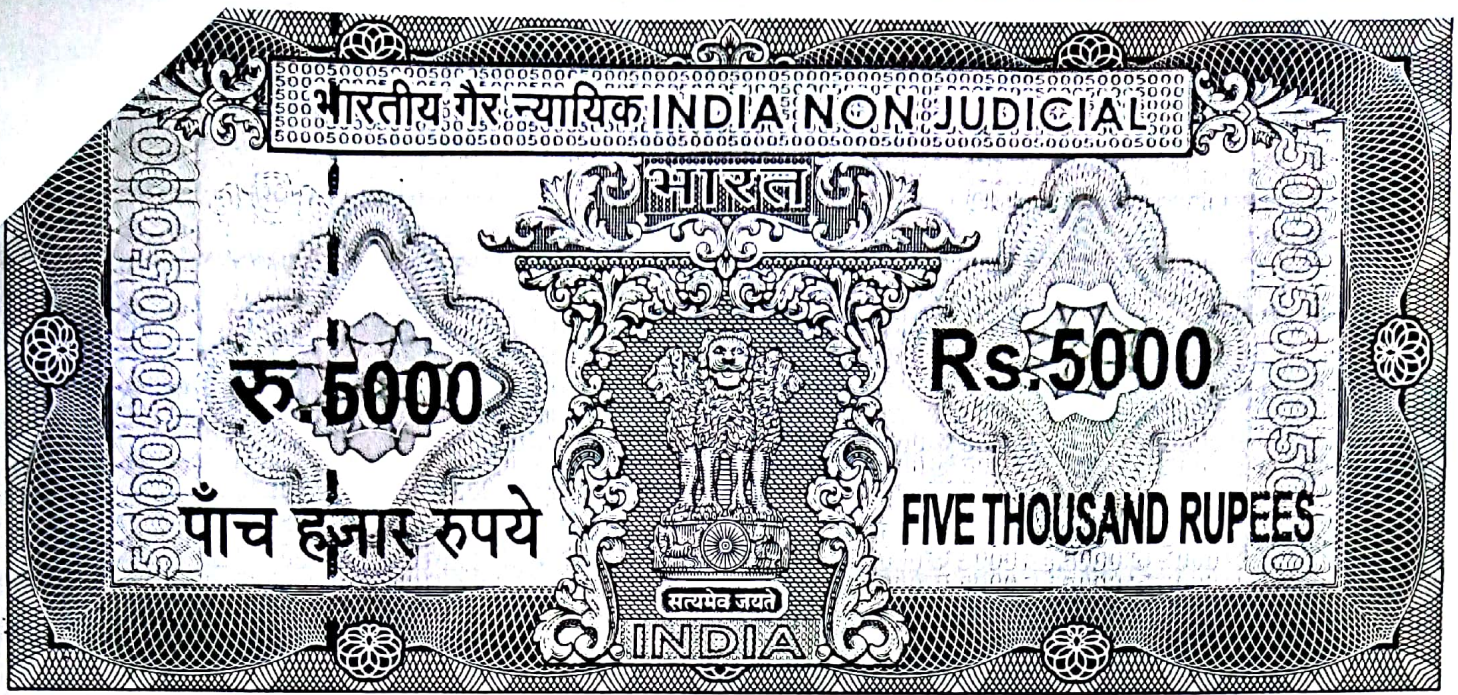
पैन नम्बर- ए ए सी सी पी 2468ई

लक्ष्मी देवी

धारा सिंह

विष्णू प्रसाद

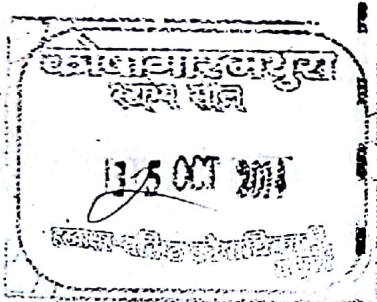




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

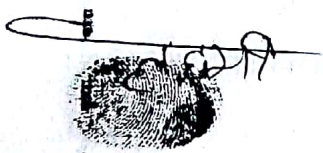
AY 464983

AY 464983



(3)

हमकि श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री धारा सिंह व धारा सिंह पुत्र श्री सुघड़ सिंह निवासीगण- सुनरख,
तहसील व जिला मथुरा।



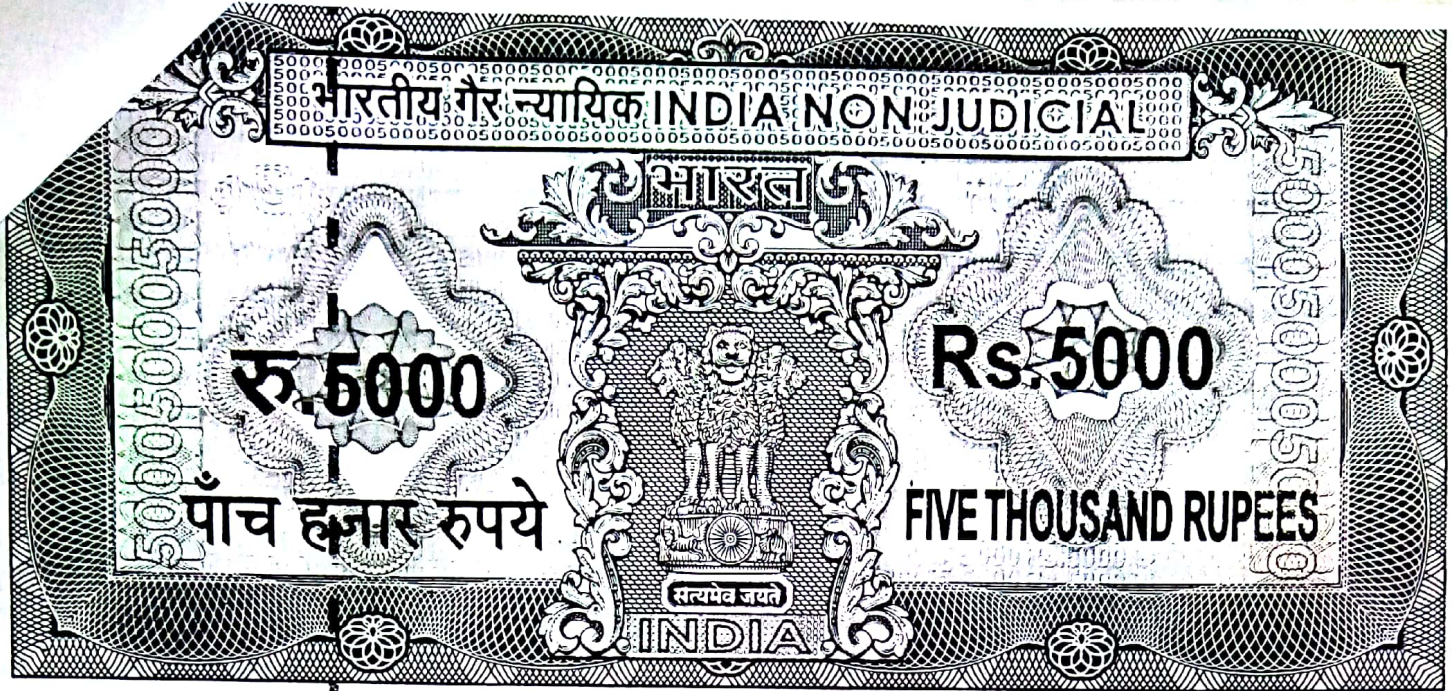
धारा सिंह

.....विक्रेता प्रथमपक्ष



.....





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 464984

AY 464984

{4}

एवं पिक सिटी प्रोपर्टीज प्रा० लि० द्वारा दुर्गेश अग्रवाल पुत्र श्री विष्णू प्रसाद निवासी- रेतिया बाजार,
वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।

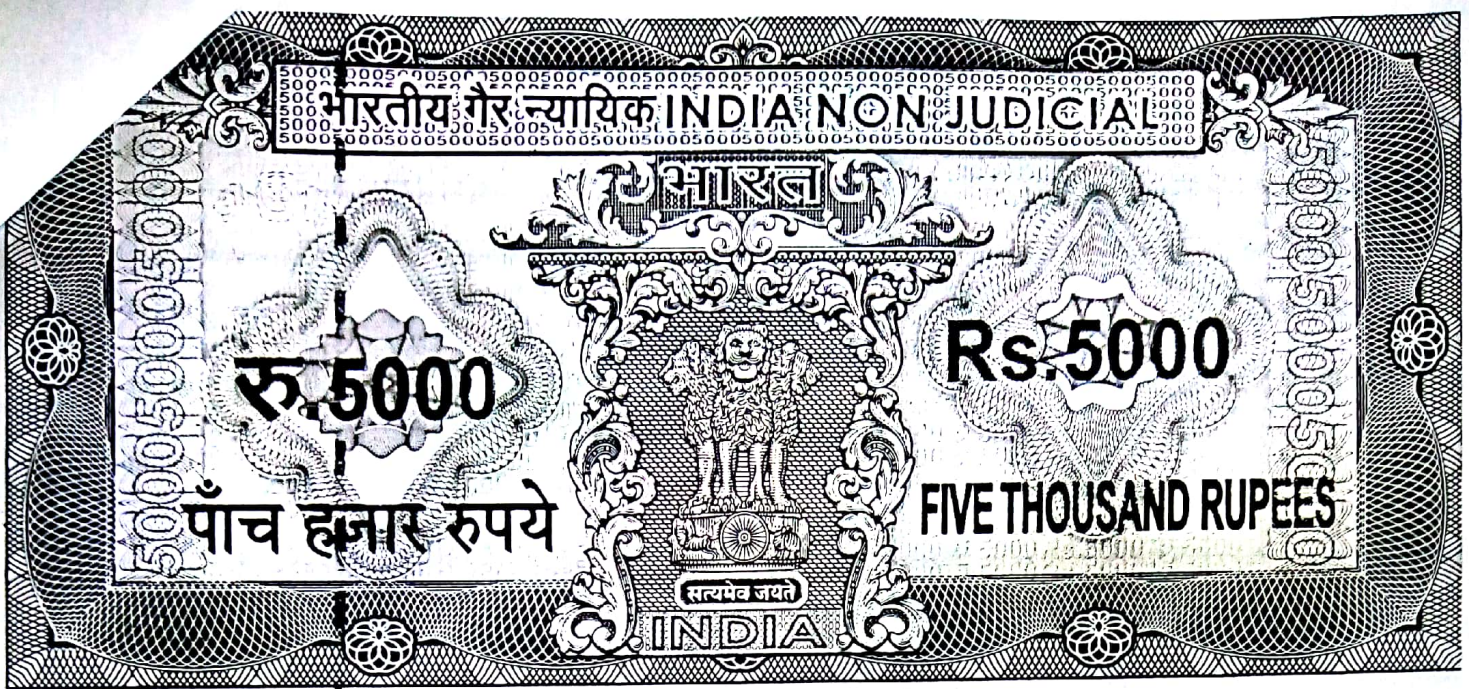
.....क्रेता द्वितीयपक्ष

पक्षकारण इस लेखपत्र के हैं।

लक्ष्मी

धारक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 464985

AY 464985

{5}

जो कि दोकिता प्लाट नम्बर-64 व 65 जो आपस में मिले हैं पैमाइशी पूरब- 45 फीट, पश्चिम- 15

फीट व 30 फीट, उत्तर- 30 फीट व 30 फीट, दक्षिण- 60 फीट क्षेत्रफल 200 वर्गगज बराबर 167.22

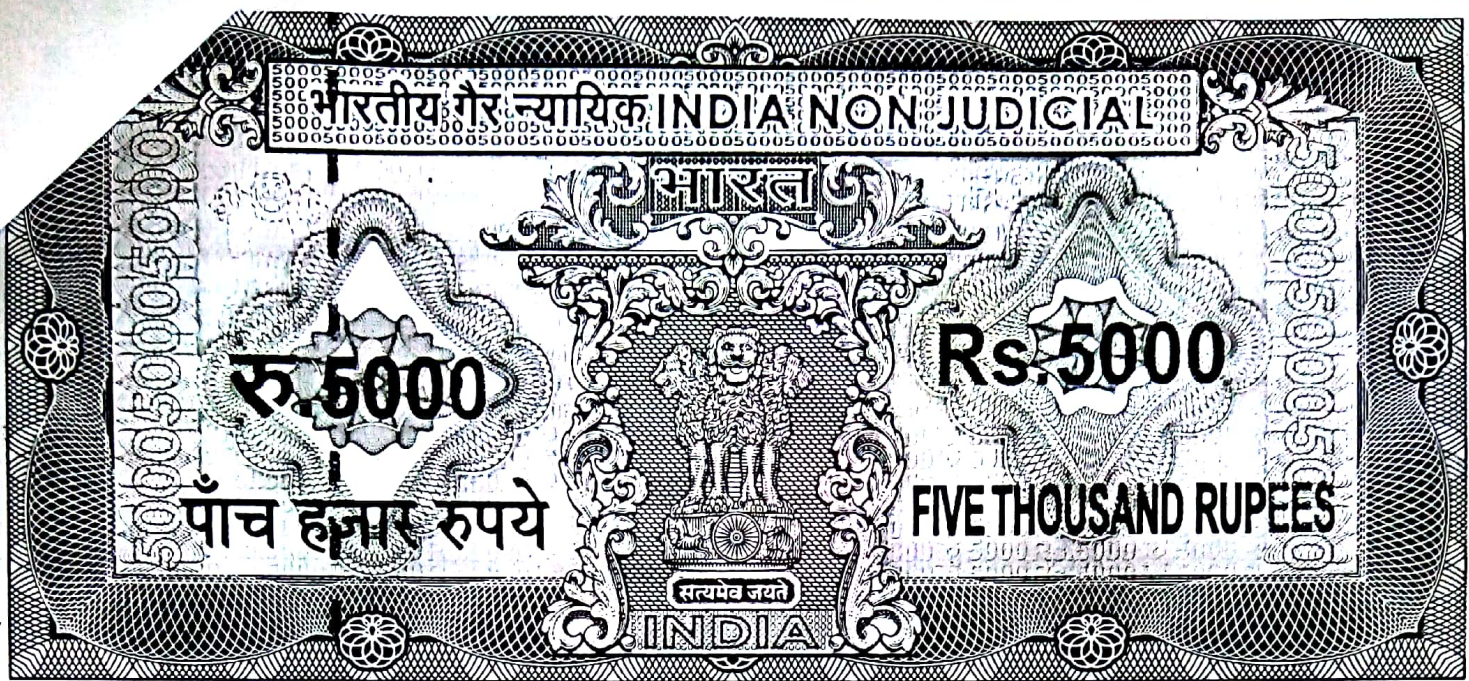
वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है-

लक्ष्मी

प्रासिद

प्रासिद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
सम्राट

AY 464987

AY 464987

13 OCT 2011

{7}

मालिक है। जो प्रथमपक्ष ने बजरिये तीनकिता बैनामा प्रथम व द्वितीय इकरारी श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी श्री नेत्रपाल शास्त्री से दिनांक 12.01.2011 प्रथम बैनामा जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, मथुरा में बही नम्बर 1 जिल्द 4026 के पृष्ठ 295-314 में नम्बर 381 पर हुई है व द्वितीय बैनामा जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, मथुरा में बही नम्बर 1 जिल्द 4026 के पृष्ठ 275-294 में नम्बर 380 पर हुई है व

लक्ष्मी

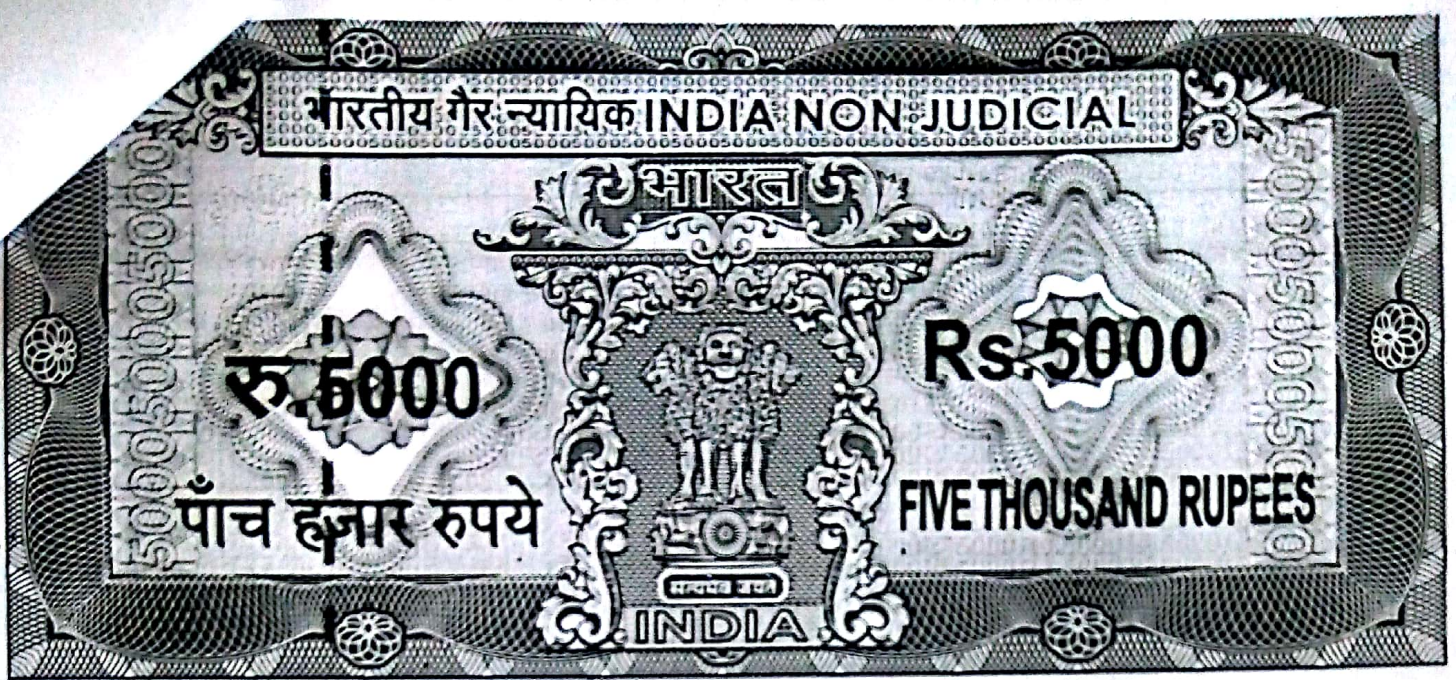


द्वारा



द्वारा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 464989

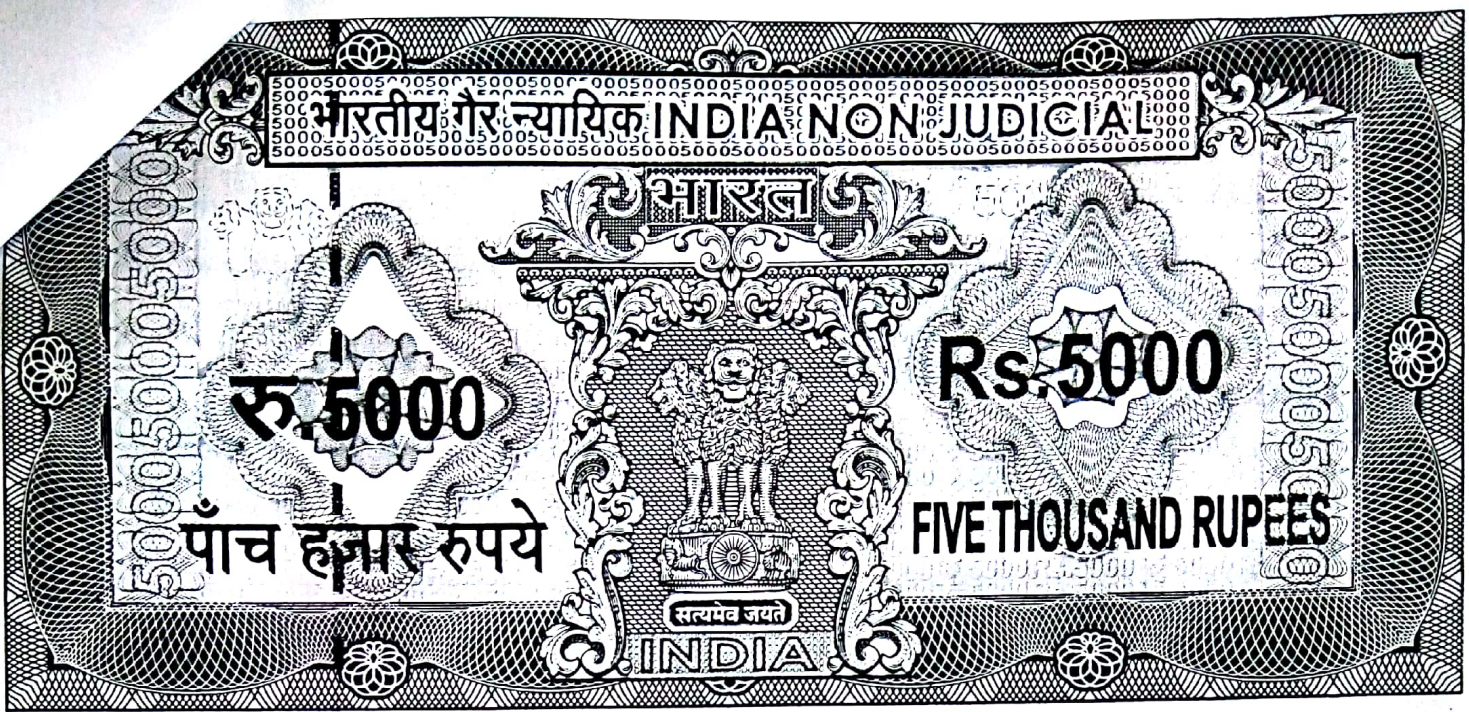
(9)

पाक साफ है। न कोई वाद विवाद है न कोई भार है और न किसी की जमानत में है, गरजे की मिलकीयत
पाक साफ, प्रथमपक्ष विक्रेता है। सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के उक्त प्लॉट जमीन का अन्य कोई मालिक

हस्ताक्षर

चन्द्रा सिंह

चन्द्रा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 464990

AY 464990

{10}

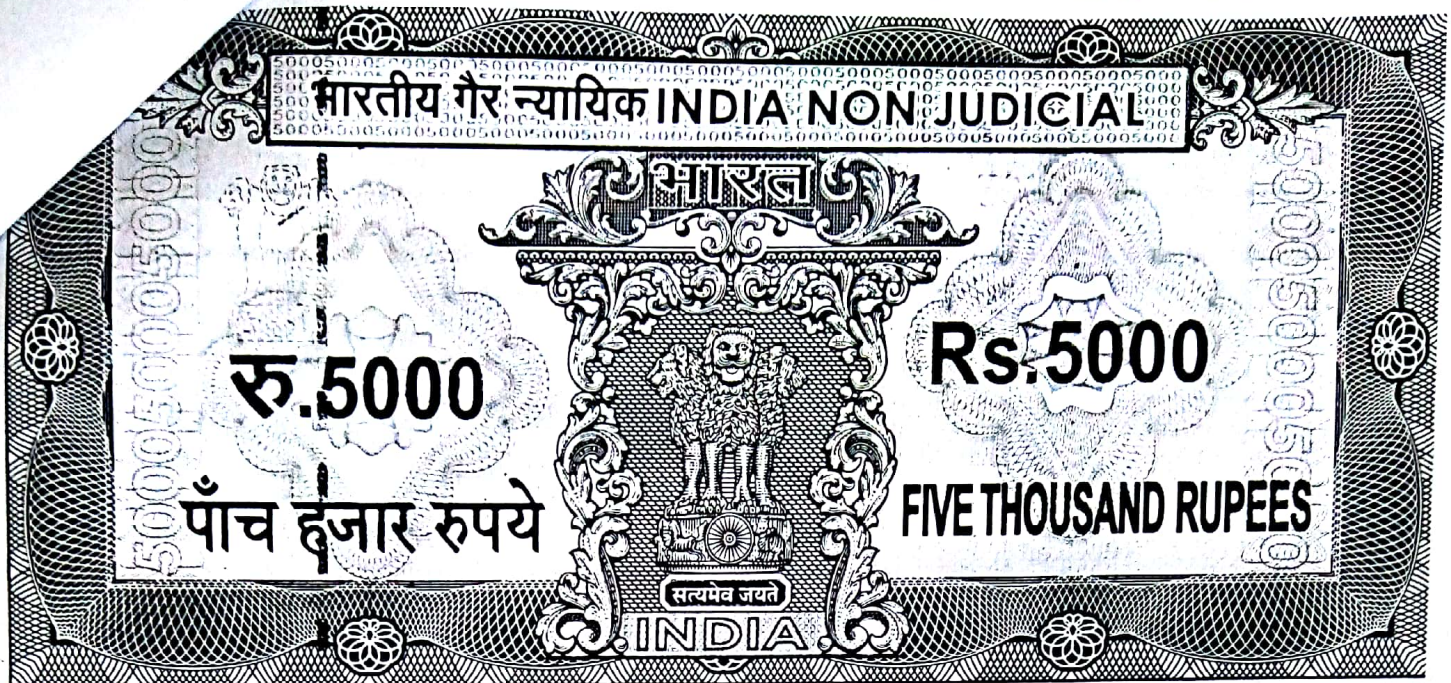
व हकदार व हिस्सेदार नहीं है। न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है। न उक्त प्लाट जमीन किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है। न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है। न ही विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त प्लाट जमीन को बेचने का इकरारनामा किसी के साथ तय कर रखा है। न कोई ऐसा व्यक्ति

व दस्त

चारा सिंह

व दस्त





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 463047

AY 463047

{11}

अथवा वस्तु है जो प्रथमपक्ष के हस्तान्तरण आदि करने में किसी प्रकार की कोई बाधा या रूकावट पैदा कर सके। यानि उक्त प्लॉट ज़मीन हर प्रकार के झगड़े-झंझट कर्जे आदि से पाक साफ तन्हा प्रथमपक्ष की सम्पत्ति है। तथा प्रथमपक्ष को उपरोक्त प्लॉट के विषय में सम्पूर्ण अधिकार मालिकाना व काबिजाना व

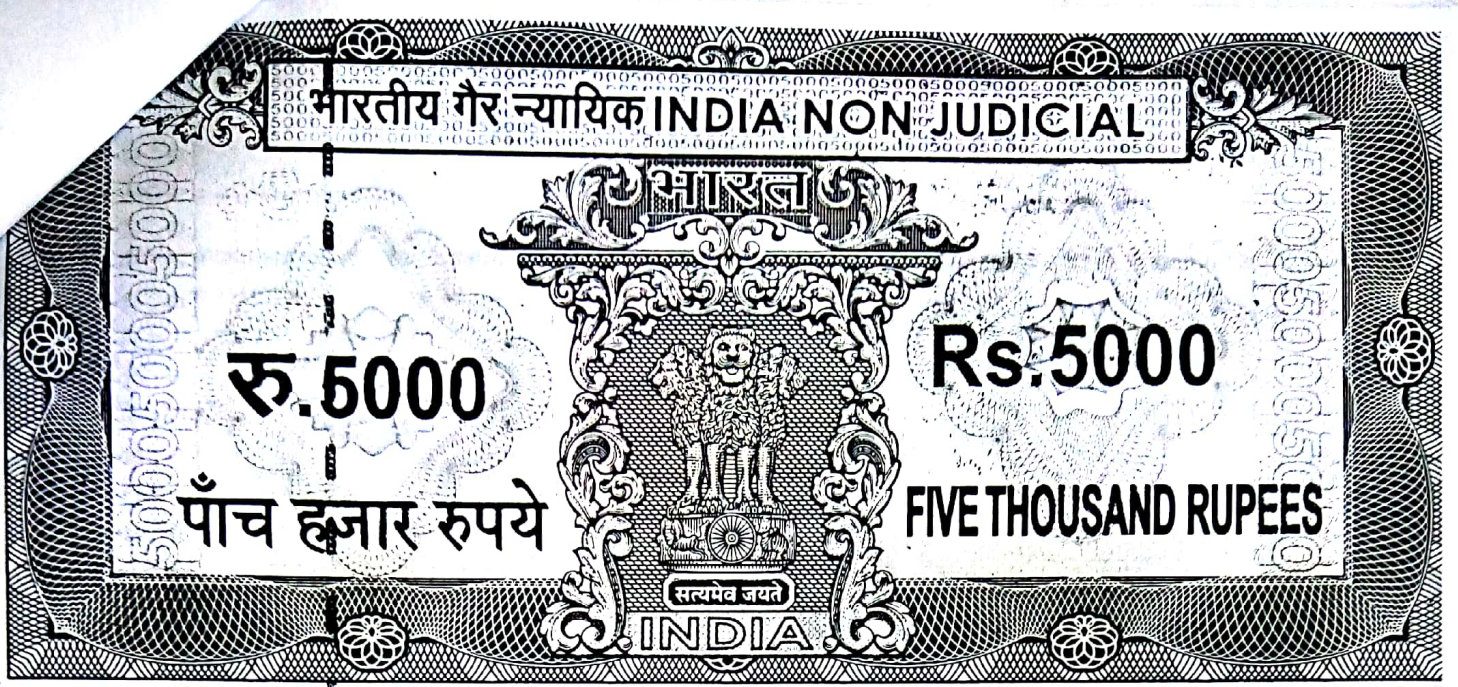
ह। इनी

धारा सिंह



Om





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 463048

AY 463048

{12}

हस्तान्तरण आदि हर प्रकार के प्राप्त हैं। अब वास्ते खर्च खुद विक्रेता प्रथमपक्ष को अपना उक्त प्लाट जमीन बेचना आवश्यक है। और इस समय द्वितीयपक्ष उक्त प्लाट जमीन को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार हैं। इस कीमत में बेच देने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है। चुनांचि उक्त प्लाट जमीन को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हों यानि कुल

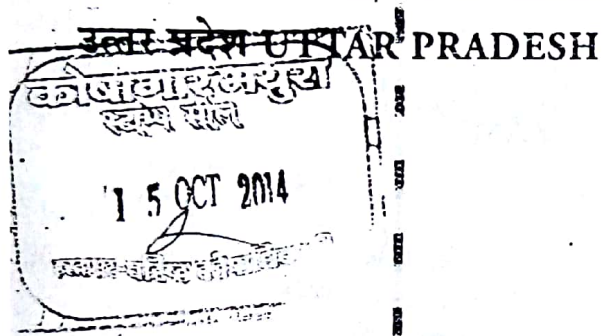
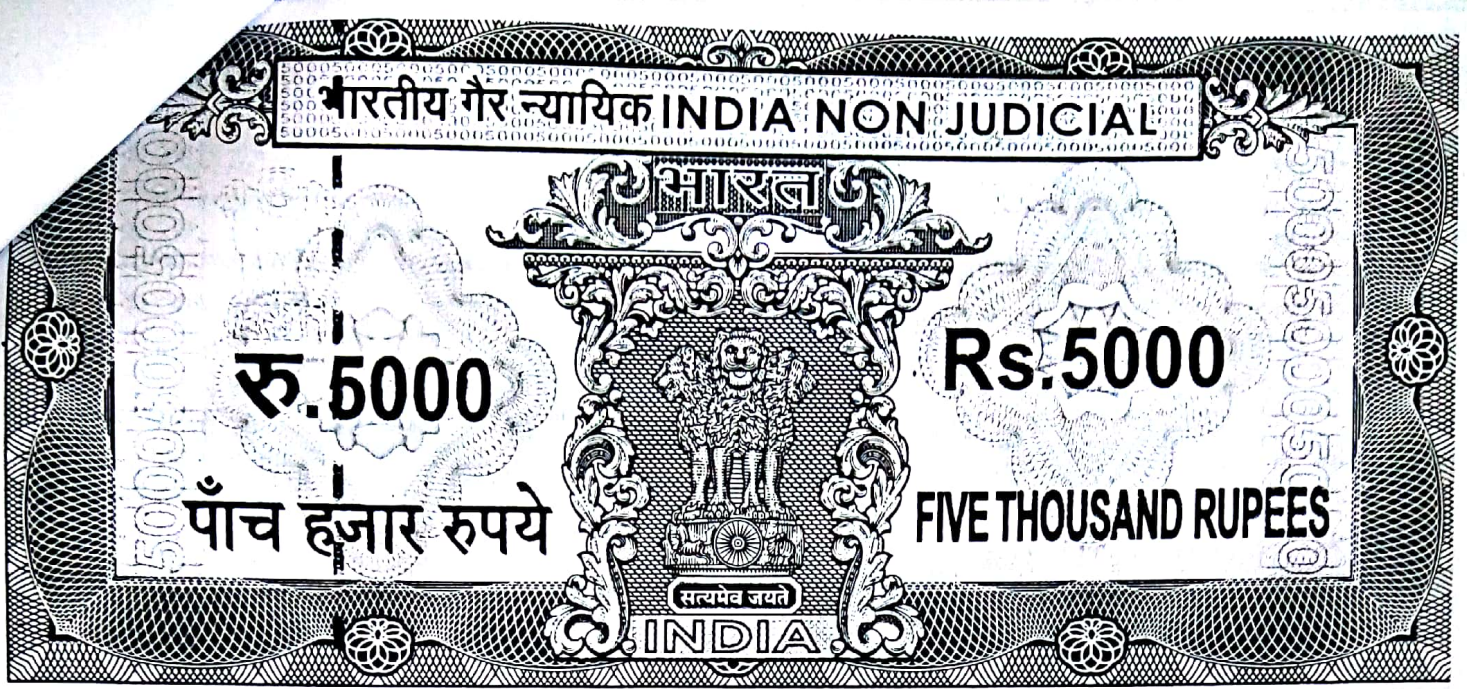
हस्ताक्षर

व्याशसिंह



व्याशसिंह



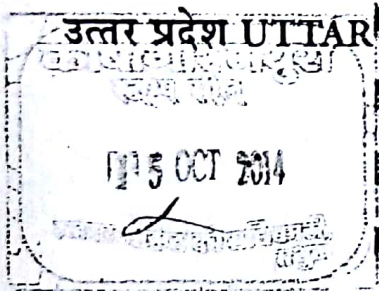
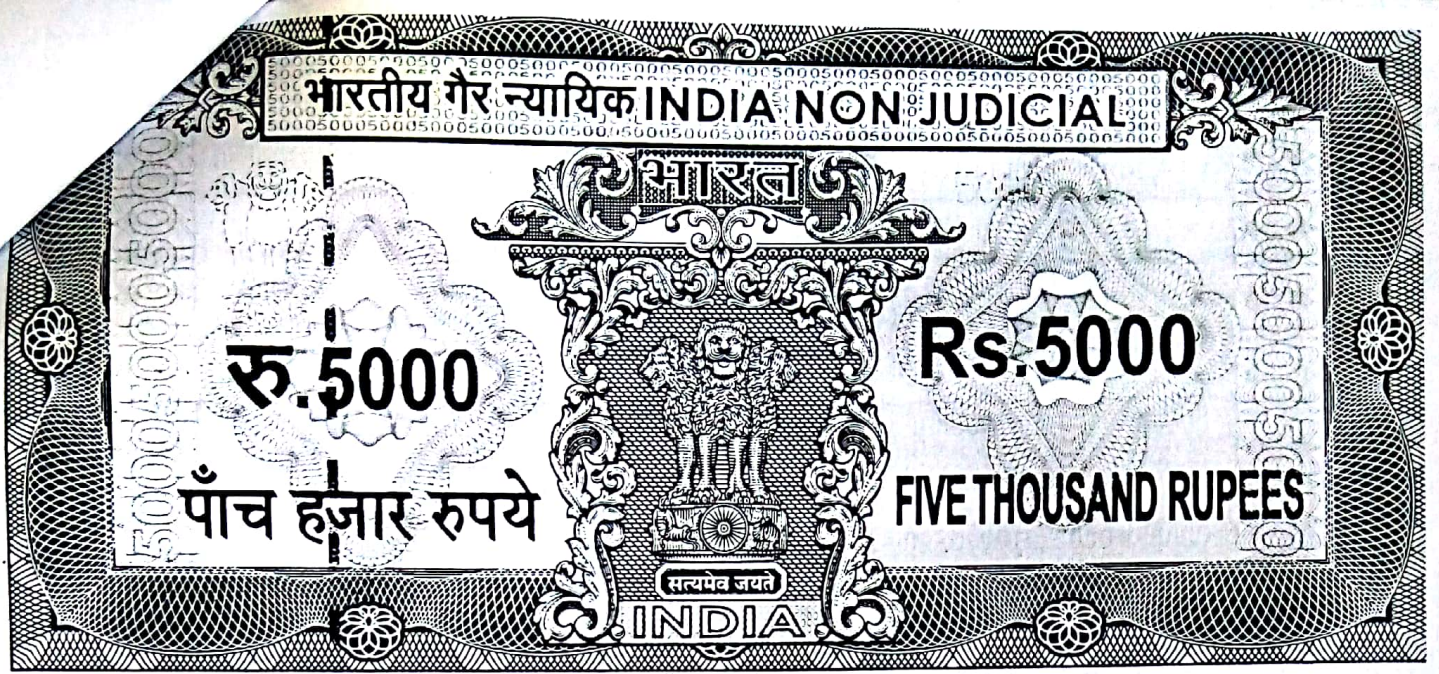


AY 464833

AY 464833

{13}

को बिना छोड़े किसी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राइट्स समस्त अधिकारों सहित वखुशी वराजी अपने वएवज 11,00,000/- ग्यारह लाख रुपये जिनके आधे 5,50,000/- पाँच लाख पचास हजार रुपये होते हैं। बदस्त पिक सिटी प्रोपर्टीज प्रा०लि० द्वारा दुर्गेश अग्रवाल पुत्र श्री विष्णू प्रसाद निवासी- रेतिया बाजार, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष को बेच दिया



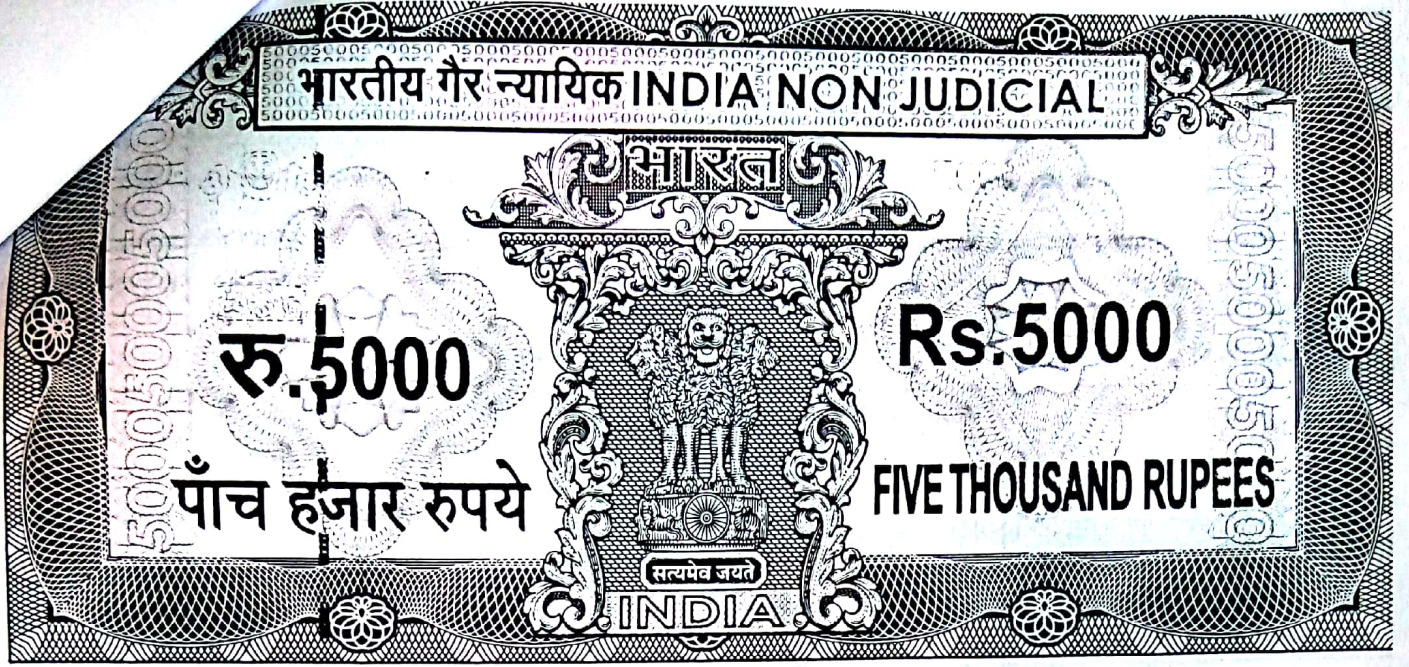
AY 464834

AY 464834

{14}

और कतई वै कर दिया और कीमत के कुल रूपयों में से 2,75,000/- रुपये बजरिये चैक संख्या 000186 दिनांक 17.10.2014 व 2,75,000/- रुपये बजरिये चैक संख्या 000187 दिनांक 17.10.2014 व 2,75,000/- रुपये बजरिये चैक संख्या 000188 दिनांक 22.10.2014 व 2,75,000/- रुपये बजरिये चैक संख्या 000189 दिनांक 27.10.2014 सभी चैक एच.डी.एफ.सी. बैंक वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त करके कब्जा व दखल बेचे गये प्लॉट जमीन पर खरीदार का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा

हस्ताक्षर
द्वारा
[Signature]
[Fingerprint] [Fingerprint] [Fingerprint]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 464835

AY 464835

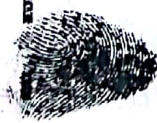
{15}

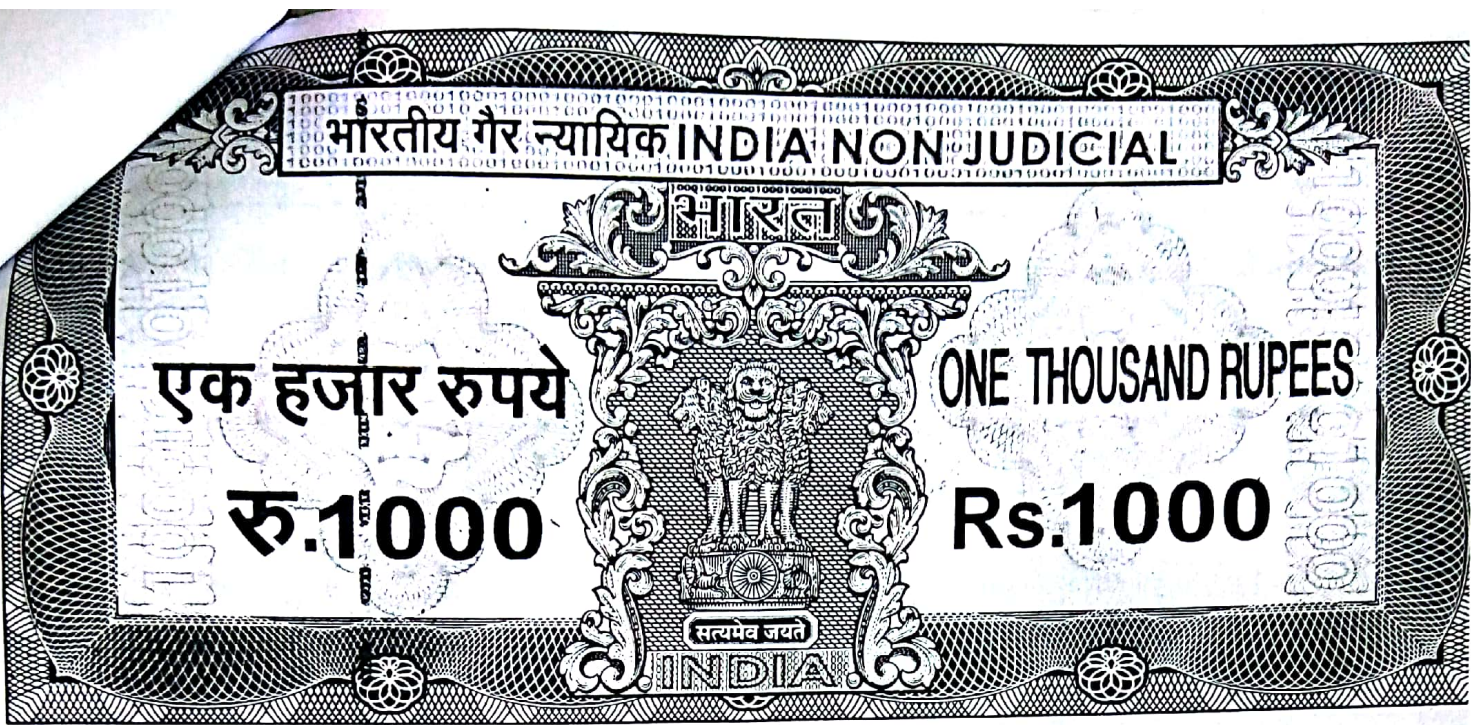
दिना और खरीदार उक्त प्लॉट जमीन की पूरी मालिक हो गयी। अब वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावें व निर्माण आदि करें व स्वयं जो चाहें सो करे। अब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसों का उक्त बेचे गये प्लॉट जमीन में कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का कुछ भी शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में होगा, अगर कभी कोई व्यक्ति उक्त बेचे गये प्लॉट जमीन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा या झगड़ा उत्पन्न करें और उसके कारण विक्रय प्लॉट जमीन का जुज या कुल भाग कब्जा खरीदार से निकल जावें या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या कहीं रहन आदि

हस्ताक्षर

धारासिंह

धारासिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 508349

{16}

13 OCT 2011

निकले तो विक्रेता प्रथमपक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। खरीदार अपनी कीमत का दिया गया
रुपया मय हर्जा-खर्चा व लागत व अदा व खर्च किये गये रूपयों को विक्रेता प्रथमपक्ष व उसकी हर प्रकार
की चल-अंचल सम्पत्ति से बाजाव्ता बजरिये अदालत मय सूद के वसूल कर ले इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष
व वास्तिकान विक्रेता प्रथमपक्ष को किसी भी प्रकार का कुछ भी उज्र न होगा। बेचे गये प्लॉट जमीन पर कोई
टैक्स नहीं है। बेचा गया प्लॉट खाली है। तथा कोई तामीरात नहीं है। अतः यह बैनामा अपनी राजी व खुशी
से दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर व समझकर लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे।
उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढ़ाकर व सुनाकर ड्राफ्ट व टाइप किया गया है।
तथा गवाहान व खरीदार की शिनाख्त के आधार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं। तथा क्रेता-विक्रेता द्वारा

लक्ष्मी चारा सिंह



Om

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 508350

{17}

उपलब्ध कराया गया प्लेट का फोटो इस प्रलेख पर चस्पा किया गया है। तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के पहचान पत्र प्रलेख के साथ संलग्न है।

लाक्ष्मी

चारा सिंह



दिनांक - 17/10/2014ई0

कम्प्यूटराइज्ड किया- आर0के0

ड्राफ्ट किया- गोबिन्द प्रसाद शर्मा एडवोकेट, मथुरा।

लाक्ष्मी (1) शैलचन्द

श्री- शैलचन्द उषा

श्री- सत्य बालाजी -
सन्धान (3)

ए.पी. सिंह

(प्राप्त)

शैलचन्द

श्री- श्री कल्याण

श्री- गोडा शैलचन्द

शैलचन्द

शैलचन्द

20.10.2014
नं. 2/2014

आज दिनांक 17/10/2014 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 6794

पृष्ठ सं. 299 से 334 पर क्रमांक 15265

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

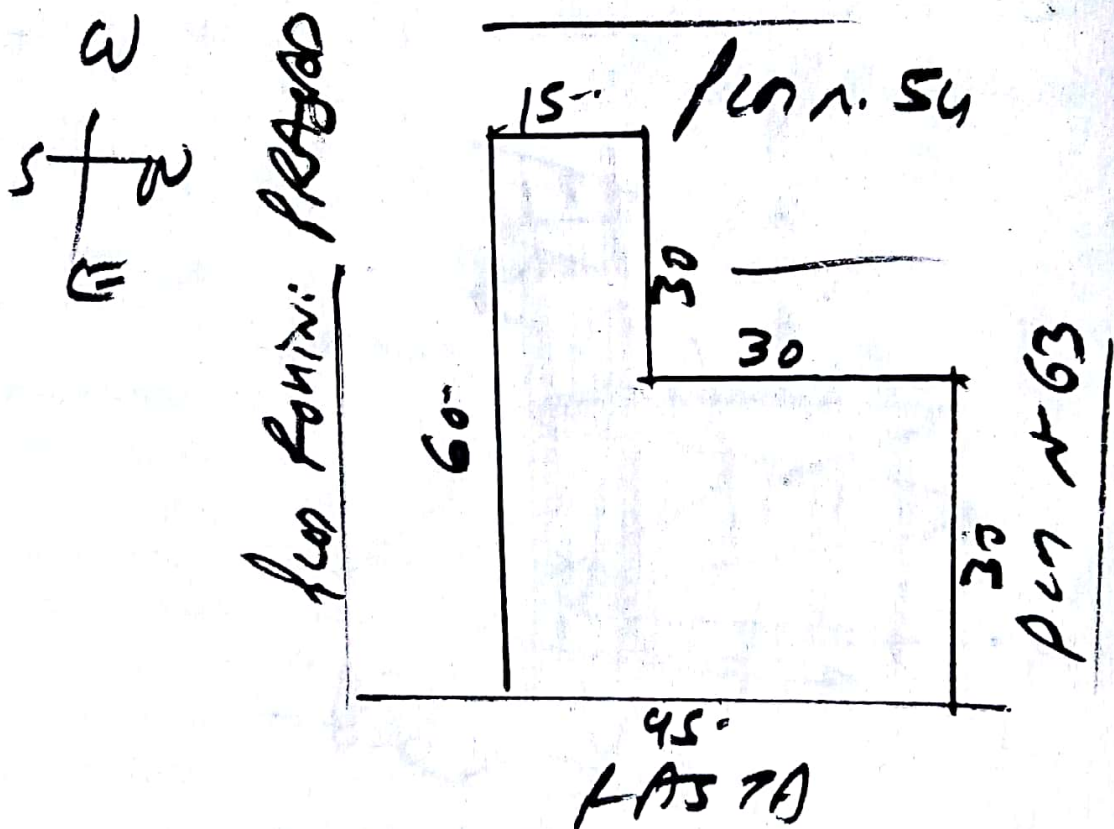

हनुमत प्रसाद

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

17/10/2014

See plan in Plan 64 & 65 (a)
 SUNRISE BRIDGE - JARASUATI
 UINAR Colony, U. MATURU
 S. JANARDAN CHAUDHARY
 AREA = 167.22 sqm



नाम

धारार्थि

22